<u>न्यायालयः– अपर सेशन न्यायाधीश श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।</u>

पीठासीन अधिकारी	–	श्याम कुमार व्यास, आर.जे.एस. (डी.जे. केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	235/2026
सी.आई.एस. नंबर	–	235/2026
सी.एन.आर.नम्बर	–	RJSG150007332026

कविता उर्फ कनक पुत्री शीशु पाल सिंह निवासी पयावली ताजपुर पुलिस थाना जारचा सर्वोडिया इंटर कॉलेज, गाजियाबाद यूपी।

–प्रार्थीया/अभियुक्ता

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, श्रीकरणपुर।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना पदमपुर की प्राथमिकी सं. 265/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 49, 3(5) Bns

उपस्थितिः–

1. श्री बलराम बाघेला, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से।
2. श्री इन्द्रजीत सिंह बडिंग, विद्वान अपर लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः 25.08.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.09.2024 को प्रार्थी कलवंत पुत्र साहबराम निवासी 6 ईईए तहसील पदमपुर ने हाजिर थाना आकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी गांव 6 ईईए का रहने वाला है। गांव 6 ईईए में संरेश कुमार के घर पर शादी थी जहां रात दिनांक 09–09–2024 की रात को संगीत का प्रोग्राम था सभी लोक वहां पर थे। प्रार्थी का भतीजा समरथ जिसकी उम्र 14 साल है वह मिली नहीं सभी ने तलाश की तो वह करीब 12.30 बजे रात को घर के बाथरूम में पडा था, जिसे बाहर निकाला तो देखा कि वह मृत था उसके गले पर रस्सी के निशान थे, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके भतीजे समरथ की गला घोंट कर हत्या कर दी, आदि आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पदमपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 265/24 अंतर्गत धारा 103(1), 49, 3(5) BNS में दर्ज की जाकर दौराने अनुसंधान प्रार्थीया/अभियुक्ता को गिरफतार किया गया। बाद अनुसंधान प्रार्थीया/अभियुक्ता की प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 3 103(1), 49, 3(5) BNS में तहत आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पदमपुर के समक्ष पेश किया गया। उक्त न्यायालय से प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने

पर प्रकरण दर्ज कर अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई, जिस पर प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा जरिए अधिवक्ता अपने उक्त प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया कि उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीया निर्दोष है तथा प्रार्थीया का उक्त अपराध से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीया को अपराध में झूठा फंसाया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीया से किसी प्रकार से कोई बरामदगी शेष नहीं है। उक्त अनवान में समस्त गवाहान परिवादी पक्ष व सरकारी है, जिन्हें प्रभावित व साज बाज किए जाने की कोई आशंका नहीं है। प्रार्थीया एक माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त अनवान प्रकरण में विचारण में अभी समय लगेगा इसलिए न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दौराने ट्रायल उनके भागने का कोई अंदेशा नहीं हैं। उक्त अपराध संगीन प्रवृति का नहीं है, जिसका दंड मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। प्रार्थीया न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीया के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उनके जीवन व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थीया की यह प्रथम जमानत दरख्वास्त है इससे पूर्व किसी भी न्यायालय में दरख्वास्त पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थीया का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया।

3. नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली तलब की गई, जो कि प्रस्तुत हुई। बहस सुनी गई।

4. दौराने बहस प्रार्थीया/अभियुक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराया है तो इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता कविता रानी उर्फ कनक ने सह–अभियुक्ता अंजु एवं मोनिका को परिवार के सदस्य की हत्या करने हेतु उकसाने, जिसके परिणामस्वरूप मृतक समरथ की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई। प्रार्थीया/अभियुक्ता घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार रही है, जिसके विरुद्ध स्थाई वारंट जारी हुआ तथा बाद में प्रार्थीया/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया और उसके विरुद्ध धारा 103(1), 49, 3(5) बीएनएस में चालान पेश किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किये जा चुके हैं।

जहाँ तक प्रश्न अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौरान बहस उठाये गये तर्कों का है तो उक्त समस्त तर्क प्रकरण के विचारण से संबंधित हैं जिनके संबंध में न्यायालय द्वारा इस जमानत आवेदन के प्रक्रम पर निष्कर्ष न देते हुए पत्रावली पर साक्ष्य आने के बाद ही निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित होगा। यद्यपि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, परंतु प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध गंभीर एवं जघन्य प्रकृति का होने तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता की प्रथमदृष्टया सक्रिय भूमिका व पूर्व फरारी को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

6. अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता कविता उर्फ कनक पुत्री शीशु पाल सिंह निवासी पयावली ताजपुर पुलिस थाना जारचा सर्वोडिया इंटर कॉलेज, गाजियाबाद यूपी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(श्याम कुमार व्यास)

7. आदेश आज दिनांक 25.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम कुमार व्यास)